डाक / ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17( ) खा.वि./ कोरोना वायरस /2020 दिनांकः 26.03.2020

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– राज्य में कोविड–19 (कोरोना वायरस) की वजह से घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्री के डोर स्टेप विकय हेतु दिशा–निर्देश।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड – 19 (कोरोना वायरस) को पेनडेमिक घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में 21 दिवस के लॉकडाउन के आदेश दिए गये है प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में आम नागरिको को आवश्यक खाद्य वस्तुओ की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु तुरंत प्रभाव से निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. समस्त क्षेत्र में किराने/आवश्यक वस्तुएं/दवाईयां की दुकाने खुली रहेंगी, ये दुकाने 24x7 समय के लिए खुली रह सकती है। जिससे कि लोग आवश्यक वस्तुऐं खरीद सकें परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किराने की दूकान पर आने वाले व्यक्ति द्वारा कोई वाहन उपयोग में नहीं लिया जावेगा, व्यक्ति पैदल आ सकता है अथवा साईकिल का प्रयोग कर सकता है।
2. किराने /आवश्यक वस्तुएं/दवाईयां की दुकान पर ग्राहकों के बीच उचित दूरी बनाये रखने के लिए दुकानदार द्वारा अथवा स्थानीय निकाय एवं पुलिस के माध्यम से मार्किगं करवायी जायेगी। पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की पॉच से ज्यादा व्यक्ति एक जगह नहीं रहें।

यद्यपि किराने/आवश्यक वस्तुएं/दवाईयां की दुकान को खोलने के लिए निर्देश दिये जा रहे है, परन्तु किराने/आवश्यक वस्तुएं/दवाईयों की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जावे, जिससे अधिकाधिक सोशल डिस्टेन्सिंग बनी रहे। इस हेतु निम्नांकित व्यवस्थायें सुनिश्चित की जावे।

1. होम डिलीवरी के लिए जिला कलक्टर प्रचार–प्रसार कर लोगों को अवगत करायेगें कि आपके क्षेत्र में किस–किस के माध्यम से होम डिलीवरी की जायेगी। जिला कलक्टर

स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किराने /आवश्यक वस्तुएं/दवाईयां की दुकानों के विजिटिंग कार्ड/दूरभाष नम्बर लेकर आस–पास की कॉलोनियों में घर–घर बटवायेंगे। जिससे लोग दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की मांग भेज सके। किराणा दुकानदारों को प्रोत्साहित किया जावे कि वह हॉम डिलीवरी हेतु अतिरिक्त डिलीवरी बॉयज एवं वाहनों की व्यवस्था करे।

2. राज्य सरकार द्वारा ई कार्मस. रिलायन्स फ्रेश, डीलशेयर, बिग बाजार, डीमार्ट आदि किराने का काम करने वाले संस्थानों के साथ चर्चा की गई है। अतः उनको होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करें तथा उनके स्टाफ एंव वाहनों के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध करवायें जिससे की वे होम डिलेवरी कर सके।
3. जिला कलक्टर ऐसे सामाजिक संगठन जैसे रोटैरी क्लब, लॉइन्स क्लब तथा स्वैच्छिक संगठन आदि से संपर्क कर उनसे अपील करे की वे इस वर्तमान परिस्थितियों में जनता की कठिनाईयों को देखते हुए अपनी सेवायें प्रदान करे। इन ऐजेन्सियों को ऐसे क्षेत्र गोद लेने हेतु प्रोत्साहित करे जहां पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पाई है। उक्त संस्थाएं स्वयं के खर्चे पर आवश्यक वस्तुएं लागत मूल्य पर वैन के माध्यम से हॉम डिलिवरी करेगी। इस हेतु उनके स्टाफ एवं वाहनों को अनुमति देवे।
4. फल एवं सब्जी ठेले वालों को डोर टू डोर विक्रय हेतु अनुमति दी जावें किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि वह एक समय में एक घर के एक सदस्य को ही विक्रय करेगा। ठेले पर भीड न होने देवें।
5. डोर टू डोर डिलीवरी हेतु साईकिल रिक्सा, ई–रिक्सा के माध्यम से भी किराना एवं आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करवाई जावे जिससे की उन लोगों को लॉक डाउन के समय उनकी आमदनी में बढोतरी हो सके।
6. जिला प्रशासन स्थानीय निकाय एवं पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापार संघो से बात करे तथा उन्हें अधिक से अधिक डोर टू डोर डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने और सप्लाई चैन को बनाये रखने हेतु जिस भी सुविधा की उन्हें आवश्यकता हो उपलब्ध कराई जावे।
7. प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त यदि कोई क्षेत्र ऐसा हो जहॉ पर होम डिलेवरी की व्यवस्था ना हो उन क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के उद्धेश्य से सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा मोबाईल शॉप के माध्यम से दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का भी विक्रय करने का निर्णय लिया गया है।

सिद्धार्थ

8. आमजन को सामग्री वितरण हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नांकित कमेटी का गठन किया जाता है, जो प्रतिदिन किराना व्यवसायियो/होम डिलीवरी करने वाले व्यवसायियों/उपभोक्ता भण्डार को आने वाली समस्याओं का निराकरण एंव मोनेटरिंग करेगी:–

1. जिला कलक्टर	–	अध्यक्ष
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारिता	–	सदस्य
3. जिला रसद अधिकारी	–	सदस्य
4. महाप्रबंधक, जिला उपभोक्ता भण्डार	–	सदस्य
5. सचिव, मण्डी समिति (संबंधित जिला मुख्यालय)	–	सदस्य

9. यह कमेटी उपभोक्ता भंडार के मोबाईल शॉप की संख्या, उनके रूटचार्ट का निर्धारण, आवश्यकता अनुसार वाहनों का अधिग्रहण करेगी। मोबाईल शॉप संचालन के लिए जिला कलक्टर आवश्यकतानुसार क्षेत्र एवं प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करेगें। उपभोक्ता भण्डार वित्तीय कठिनाई होने पर **untied fund** से आवश्यकतानुसार रिवाल्विंग फण्ड के रूप में राशि ले सकेंगे। जिला कलक्टर मोबाईल शॉप हेतु आवश्यकतानुसार वाहनों का अधिग्रहण सुनिश्चित करेगे।

10. मोबाईल शॉप/किराने की दुकान/होम डिलीवरी के संचालन हेतु नियोजित कार्मिक एवं वाहन चालक चिकित्सा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगें।

11. मोबाईल शॉप/किराने / आवश्यक वस्तुएं/ दवाईयों की होम डिलीवरी से सामग्री वितरण के समय यह सुनिश्चित किया जावे कि वितरण के समय भीड न हो।

12. होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे पास धारित व्यक्तियों, थोक विक्रेता के सप्लाई हेतु पास धारित व्यक्ति एवं सम्बंधित वाहनो को पुलिस आवगमन हेतु नहीं रोकेगी इस हेतु गृह विभाग पृथक से निर्देश जारी करेंगा।

13. खुदरा किराना विक्रेताओ को सामग्री की आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे इस हेतु थोक विक्रेताओ का चिन्हीकरण सम्बंधित जिला कलक्टर द्वारा किया जावेगा तथा इन थोक विक्रेताओ द्वारा वांछित व्यक्तियों एवं वाहनों के पास जारी करने की कार्यवाही राज्य सरकार/ जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। थोक विक्रेताओ की सूची जिले के समस्त अधिकृत खुदरा विक्रेताओ को उपलब्ध करवाई जावेगी ताकि आवश्यकतानुसार खुदरा विक्रेताओ द्वारा सामग्री प्राप्त की जा सके।

14. होम डिलीवरी आपूर्ति व्यवस्था में स्थानीय निकाय सस्थाएँ जिला प्रशासन का सहयोग करेगें।

यह निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

सिद्धार्थ 26/3/2020

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

एफ 17(26) खा.वि./न्याय/72—ााा　　　　　　　　　　दिनांक 26.03.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
7. **समस्त जिला कलेक्टर/ जिला रसद अधिकारी, राजस्थान** ।
8. समस्त पुलिस अधिक्षक, राजस्थान।
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार राजस्थान ।
10. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षा पत्रावली।

अति. आयुक्त, खाद्य